U

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार

14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

CIN: U40101UP1980SGC005065

UPRVUNL

संख्याः 1447 / मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2023–3(11) / मा0स0(04) / 2017(Vol-II) दिनांकः 18.09.2023

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनाक 28.08.2023 को सम्पन्न 217वीं बैठक के एजेण्डा आईटम संख्या–217.25 मे लिए गये निर्णय के अनुपालन में वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या : 06 / 2022 / आई / 154233 / 2022 / फा0न0–10–19099 / 141 / 2021–22, दिनांक 07 अप्रैल, 2022 जो उ0प्र0 शासन के पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या : 6–सा–3–227 / दस–2014–308 / 97, दिनांक 01 जुलाई, 2014 की अनुसारिता में जारी किया गया है, द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त / मृत कर्मचारियों / पेंशनरो की अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेशन की पात्रता के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी स्पष्टीकरण / व्यवस्था को निर्गत किया गया है, को उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की सेवाओं में यथावत् / सम्पूर्णता में एतदद्वारा अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्याः 1447 / मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2023 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन / तकनीकी / वित्त / परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर / निजी सचिव।
4. मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक, ओबरा / अनपरा / पारीछा / हरदुआगंज / जवाहरपुर / पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा / अनपरा (सोनभद्र) / पारीछा (झाँसी) / कासिमपुर (अलीगढ़) / मलावन (एटा) / पनकी (कानपुर)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर– I / II), मा0सं0 / पर्यावरण एवं सुरक्षा / ईंधन / जानपद–नव परियोजनायें / तापीय परिचालन / नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण / वाणिज्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर– I / II), न्यू कोल ब्लाक / प्रगति / पी0पी0एम0एम0, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0 / 46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की सम्पन्न 217वीं बैठक के एजेण्डा आईटम संख्या–217.25 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0 / 46वी विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. उप महाप्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06) / (रिफार्म) / (टाण्डा वाइंडिग एवं संसदीय कार्य) / (प्रशिक्षण) / (तापीय परिचालन) / (जानपद) / (औ0स0) / (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक / उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा / अनपरा / पारीछा / हरदुआगंज / जवाहरपुर / पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ओबरा / अनपरा (सोनभद्र) / पारीछा (झाँसी) / कासिमपुर (अलीगढ़) / मलावन (एटा) / पनकी (कानपुर)।
11. कट् फाइल।

आज्ञा से,

18/9/23

(तरूण कुमार जैन)

अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–04)

अनुलग्नक-एक

संख्या- 06/2022 /आई/154233/2022/का0नं0-10-19099/141/2021-22

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3-निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 07 अप्रैल, 2022

विषय- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की पात्रता के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1665/दस-2012-308/97, दिनांक 03 दिसम्बर,2012, शासनादेश संख्या-1/सा-3-482/दस-2014-308/97, दिनांक 20 मई, 2014 एवं शासनादेश संख्या-6-सा-3-227/दस-2014-308/97,दिनांक 01 जुलाई, 2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपरोक्त आदेशों में से शासनादेश संख्या-6-सा-3-227/दस-2014-308/97, दिनांक 01 जुलाई, 2014 के प्रस्तर-5 में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी पुत्रियों, जो सरकारी सेवक/पेंशनर अथवा उसकी पत्नी/पति की मृत्यु की तिथि, जो भी बाद में हो, को तलाकशुदा/विधवा थीं, को पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करने पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी, परन्तु ऐसी पुत्रियों, जो सरकारी सेवक/पेंशनर, उसकी पत्नी/पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा/विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

3- तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने की पात्रता के सम्बन्ध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञापन संख्या-1/13/09-पी एंड पी डब्ल्यू (ई), दिनांक 19 जुलाई, 2017 के प्रस्तर-6 में यह स्पष्टीकरण/व्यवस्था दी गयी है कि "ऐसे मामलों में तलाकशुदा पुत्री को कुटुंब पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जाए, जहां किसी सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति के जीवन काल में तलाक की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में दायर कर दी गयी थी और उसकी मृत्यु के उपरान्त तलाक हुआ था- बशर्ते दावाकर्ता केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम-54 के तहत कुटुंब पेंशन पाने की अन्य सभी शर्तें पूरी करती हो। ऐसे मामलों में कुटुंब पेंशन तलाक की तिथि से आरम्भ होगी।"

4- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञापन दिनांक 19 जुलाई, 2017 दिनांक 19 जुलाई, 2017 में दिये गये उपरोक्त स्पष्टीकरण/व्यवस्था के अनुसरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जाए, जहां राज्य सरकार के किसी सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति के जीवन काल में तलाक की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में दायर कर दी गयी थी और उसकी मृत्यु के उपरान्त तलाक हुआ था- बशर्ते दावाकर्ता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पारिवारिक पेंशन की पात्रता की अन्य सभी शर्तें पूरी करती हो। ऐसे मामलों में कुटुंब पेंशन तलाक की तिथि से आरंभ होगी।

भवदीय,
नील रतन कुमार,
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैवोपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned with CamScanner

संलग्नक-2

संख्या-6-सा-3-227/दस-2014-308/97

अनुलग्नक-दो

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3-निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वेतन(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक : 01 जुलाई, 2014

विषय:- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त / मृत कर्मचारियों / पेंशनरों की अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त / मृत कर्मचारियों / पेंशनरों की अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन दिये जाने के संबंध में शासनादेश दिनांक 08-12-2008 एवं 03-12-2012 में यह व्यवस्था की गयी है कि सेवानिवृत्त / मृत सरकारी कर्मचारियों / पेंशनरों की अविवाहित / तलाकशुदा/ विधवा पुत्रियों को कतिपय शर्तों के अधीन 25 वर्ष के उपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

2- कतिपय विभागों द्वारा इस बिन्दु पर मार्गदर्शन मांगा गया है कि ऐसी पुत्रियों, जो सरकारी सेवक/ पेंशनर, उसकी पत्नी / पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा / विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी अथवा नहीं ?

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की संतानों को पारिवारिक पेंशन इसलिये अनुमन्य है कि उन्हें पेंशनर पर आश्रित माना जाता है। पारिवारिक पेंशन केवल उन्हीं संतानों को अनुमन्य है, जो सरकारी सेवक अथवा उसकी पत्नी / पति की मृत्यु की तिथि, जो बाद में हो, को

--2/-

(हस्ताक्षर)
(पी0 पी0 वर्मा)
अपर सचिव-3

Scanned with CamScann

अपने पिता / माता पर आश्रित है एवं उक्त तिथि को अर्हता की अन्य शर्तें पूर्ण करती हों। यदि उक्त तिथि को दो अथवा अधिक संतानें पारिवारिक पेंशन के लिए अर्ह हों, तो ऐसी प्रत्येक संतान को पारिवारिक पेंशन देय होगी जो पारिवारिक पेंशन हेतु उसकी बारी आने पर पारिवारिक पेंशन के लिए अर्हता की सारी शर्तें पूरी करती हों।

4. इसी प्रकार किसी विधवा / तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन तभी अनुमन्य होगी जब वह सरकारी सेवक अथवा उसकी पत्नी / पति की मृत्यु की तिथि पर पारिवारिक पेंशन हेतु पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करती हों।

5. उपर्युक्तानुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी पुत्रियों जो सरकारी सेवक/पेंशनर अथवा उसकी पत्नी/पति की मृत्यु की तिथि जो बाद में हो, को तलाकशुदा/विधवा थी को पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करने पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी परन्तु ऐसी पुत्रियों जो सरकारी सेवक/पेंशनर उसकी पत्नी/पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा/विधवा होती है को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

भवदीय

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

संख्या-6-सा-3-2271(1) दस-2011-308-97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, श्री राज्यपाल सचिवालय, मुख्य लेखाधिकारी विधान सभा/विधान परिषद, विशेष सचिव वित्त (व्यय) चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रदेश के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

ह०/अपठनीय

(एच० पी० वर्मा)

अपर सचिव 3